चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे “मिशन शक्ति अभियान-5” के शुभारम्भ के अवसर पर जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/‘‘शक्ति दीदी’’ द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

“मिशन शक्ति अभियान-5” के शुभारम्भ के अवसर पर आज दिनांक 04.10.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को “मिशन शक्ति” व ‘‘शक्ति दीदी’’ के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 04.10.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में चित्रकूट पुलिस द्वारा आगामी त्योहार के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). आज दिनाँक 04.10.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस लाइन्स चित्रकूट में शुक्रवार की साप्ताहिक परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया । परेड निरीक्षण के दौरान अधि0/कर्मचारीगण का टर्न आउट चेक किया गया तथा परेड ग्राउण्ड में उपस्थित सभी टोलियों की ड्रिल देखी गयी एवं आवश्यक सुधार हेतु प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन को निर्देशित किया गया। परेड ग्राउंड में आर्मोरर अश्वनी भारद्वाज द्वारा शस्त्रो का खोलने जोड़ने व हैन्डलिंग की जानकारी दी गयी। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवहन शाखा जाकर थानो से आयी समस्त चार पहिया वाहनों, 112 पीआरवी वाहनों तथा परिवहन शाखा मे रखे वाहनों का निरीक्षण कर प्रभारी परिवहन शाखा को मरम्मत हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। क्वार्टर गार्द का निरीक्षण कर सलामी ली गयी तथा गार्द से स्टैन्ड-2 की कार्यवाही करवायी गयी साथ ही पुलिस अधीक्षक द्वारा आदेश-कक्ष में जाकर पुलिस कर्मियों का अर्दली रुम किया गया ।
इस दौरान क्षेत्राधिकारी लाइंस श्री यामीन अहमद, क्षेत्राधिकारी प्रशिक्षु श्री फहद अली , प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवनारायण, पीआरओ श्री प्रवीण सिंह एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(4). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी प्रशान्त कुमार तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ला एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं जिला शासकीय अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री विकास कुमार प्रथम द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 85/21 धारा 302 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त अजय कुमार गुप्ता उर्फ छोटे पुत्र देवराज गुप्ता निवासी शंकर बाजार थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से व मु0अ0सं0 91/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के उपरोक्त आरोपी को 03 वर्ष का कारावास व 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 08.03.2021 को वादी देवराज पुत्र मतगंजन निवासी शंकर बाजार थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में सूचना दी थी कि मेरे बडे बेटे सुशील गुप्ता को मेरे ही छोटे बेटे अजय कुमार द्वारा अवैध असलहे से गोली मारकर हत्या कर दी,जिस सम्बन्ध मे थाना कोतवाली कर्वी मे मु0अ0सं0 85/21 धारा 302 भादवि0 पंजीकृत किया गया। मुकदमें की विवेचना तत्कालीन अपराध निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री रामाश्रय यादव द्वारा की गई । दिनाँक 13.03.2021 को अभियुक्त उपरोक्त को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया गया बरामदगी के आधार पर आरोपी के विरूद्ध थाना स्थानीय में मु0अ0सं0 91/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आरोपी को जेल भेजा गया तथा दिनाँक 16.04.2021 को आरोपी के विरुद्ध आरोप-पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

(5). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष भरतकूप प्रवीण कुमार सिंह एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी मो0 आरिफ द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री बृजमोहन द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चित्रकूट श्री राजेन्द्र प्रसाद भारती द्वारा थाना भरतकूप में पंजीकृत मु0अ0सं0 14/2024 धारा 323,504,506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1. बच्छराज

प्रजापति 2. रामशरण प्रजापति पुत्रगण बजरंगी 3. अच्छेलाल पुत्र बच्छराज निवासीगण रामपुर माफी थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को प्रत्येक को 2500-2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(7). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष भरतकूप प्रवीण कुमार सिंह एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी मो0 आरिफ द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री बृजमोहन द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चित्रकूट श्री राजेन्द्र प्रसाद भारती द्वारा थाना भरतकूप में पंजीकृत मु0अ0सं0 42/2023 धारा 279,337,338,427 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त मोनू पुत्र नईम निवासी तरौहा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 3500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(8). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री बृजमोहन द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चित्रकूट श्री राजेन्द्र प्रसाद भारती द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 94/2010 धारा 509 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1. चुक्की लोध उर्फ राज किशोर निवासी कालूपुर पाही थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट 2. बड़ेलाल कोरी पुत्र रग्घू कोरी 3. रामप्रसाद कोरी पुत्र गाबुक कोरी निवासीगण कोलगदहिया थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को प्रत्येक को 1000-1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(9). आज दिनांक 04.10.2024 को नवरात्रि त्यौहार को सकुशल सम्पन्न कराने को लेकर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय द्वारा प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्रीमती रीता सिंह की उपस्थिति में नवरात्रि त्यौहार के दृष्टिगत थाना पहाड़ी में दुर्गा प्रतिमा रखने वाले संयोजकों के साथ पीस कमेटी की बैठक कर संवाद किया गया तथा उनकी समस्याओं को सुनकर उन्हें शासन द्वारा निर्गत निर्धारित गाइडलाइन्स एवं कानूनी प्राविधानों से अवगत कराया गया एवं शान्तिपूर्ण वातावरण बनाये रखने हेतु तथा सुरक्षा का आश्वासन दिया गया । तत्पश्चात थाना पहाड़ी पुलिस बल के साथ थाना क्षेत्र में लगने वाले दुर्गा पण्डालों का भ्रमण कर निरीक्षण किया गया।

(10). आज दिनाँक 04.10.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी के नेतृत्व में क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल की उपस्थिति में नवरात्रि त्यौहार को सकुशल सम्पन्न कराने के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु कोतवाली कर्वी पुलिस बल के साथ कर्वी शहर के धनुष चौराहा,बस स्टैण्ड,काली देवी चौराहा,भगवान दीन चौराहा,घुस मैदान,शंकर बाजार,धतुरहा चौराहा आदि मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीम द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिकों से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया । इस दौरान संदीग्ध वाहनों,संदीग्ध व्यक्तियों से पूंछताछ की गयी।

पैदल गस्त के दौरान प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थिति रहें।